नम्बर व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/2/21	वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से राजीनामा प्रार्थना पत्र पेश होने पर आज पत्रावली पेश हुई। वादी अभिभाषकं उपस्थित। वादी क्रम 1 लगायत 5 तथा प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 उपस्थित। पक्षकारान की ओर से राजीनामा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2331/1899 रकबा 0.47 हैक्टर का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपस में राजीनामा हो गया है। राजीनामा अनुसार कुल आराजी 0.47 हैक्टर के 1/2 हिस्से का वादीगण को तथा शेष 1/2 हिस्से का प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 को खातेदार घोषित कर दिया जावे। इसमें किसी भी पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। न्यायालय में उपस्थित समस्त पक्षकारान का वादपत्र में अंकितानुसार मिलान किया गया। सभी पक्षकारान की पहचान उनके मूल आधार कार्ड से की गई। प्रत्येक पक्षकार के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति प्राप्त की गई। न्यायालय में उपस्थित समस्त पक्षकारान को राजीनामा अक्षरशः पढकर सुनाया गया तथा राजीनामा अनुसार आदेश किये जाने बाबत उनसे पुछा गया जिस पर उनके द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं किये जाने तथा राजीनामा पर सहमति दिये जाने के फलस्वरूप पक्षकारान की ओर से पेश राजीनामा तस्दीक एवं स्वीकार किया जाकर ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी खसरा नम्बर 2331/1899 रकबा 0.47 हैक्टर के 1/2 हिस्से का वादीगण को तथा शेष 1/2 हिस्से का प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 को खातेदार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।	[signatures and thumb impressions] राजेश

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी – बालकृष्ण तिवारी, R.A.S.

बउनवान :–

1–3 जमनालाल, रामकुंवार, हंसराज पुत्रान किशनलाल, जाति बैरवा, निवासीगण ग्राम पालकिया, तहसील सांगोद, जिला कोटा

4. काली बाई पुत्री किशनलाल पत्नी जमनालाल, जाति बैरवा, निवासिनी छोटी रामनगर की झोपडिया, तहसील सांगोद, जिला कोटा

5. जसोदा पुत्री किशनलाल पत्नी रामारोस, जाति बैरवा, निवासिनी बालाकुण्ड, कोटा

(वादीगण)

बनाम

1. रामकन्या पत्नी कालूलाल, जाति बैरवा, निवासिनी रायपुरा मस्जिद के पास, कोटा
2. रामफूल आत्मज स्व. रामनारायण, जाति बैरवा, निवासी नहर की पुलिया के पास, नई कोलोनी, भीलों का मोहल्ला, रायपुरा, कोटा
3. राजेश आत्मज स्व. रामनारायण, जाति बैरवा, निवासी बालाकुण्ड, कोटा
4. फूंला बाई पुत्री स्व. रामनारायण पत्नी हरिचन्द, जाति बैरवा, निवासिनी हाल कृष्णा दूध डेयरी मेन रोड, बालाकुण्ड, कोटा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 88-89-188 RTA
मुकदमा नम्बर : 50 / 17 GCMS id : 2017 / 00119
निर्णय दिनांक : 12-02-2021

न्यायालय हाजा में वादीगण की ओर से विद्वान वादी अभिभाषक श्री बी.एस. भटनागर तथा वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 उपस्थिति में पेश राजीनामा तस्दीक करने के बाद आज तारीख 12–02–2021 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री बालकृष्ण तिवारी, आर.ए.एस. के समक्ष पेश होने पर ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी खसरा नम्बर 2331 / 1899 रकबा 0.47 हैक्टर के 1/2 हिस्से का वादीगण को तथा शेष 1/2 हिस्से का प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 को खातेदार घोषित किये जाने तथा तदनुरूप राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

* खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे द्वारा आज तारीख 12 फरवरी, 2021 को न्यायालय मुद्रा तथा मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(बालकृष्ण तिवारी) R.A.S.
सहायक कलक्टर (मु.), कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
		रूपया			रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	.... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	

JamnaLal.Ramkanya.Dekree